पटना में दिनांक–05 सितम्बर, 2015 शनिवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

1. निम्न शक्ति शराब (Low Alcoholic Beverage) के आयात, निर्यात एवं बिक्री हेतु नियमावली, 2015 की स्वीकृति के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियो को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2003 के तहत प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०) (वेतनमान ₹ 15,600–39,100/–, ग्रेड पे–₹ 6,600/–) का लाभ देने के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

3. बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपे गये वृहत्तर दायित्वों के लोकहित में ससमय निष्पादन हेतु आयोग में पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 07 (सात) एवं तकनीकी परिक्षेत्र के 03 (तीन) पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

4. राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम की इकाई सकरी का दिनांक–11.06.2015 को सम्पन्न लीज हस्तांतरण के आलोक में इस इकाई के स्थायी कर्मियों के लिए हस्तांतरण की स्थिति के अनुरूप पूनरीक्षित Cut off Date दिनांक–31.03.2015 निर्धारित करते हुए कर्मियों के बकाये वेतन एवं उनके Exit Settlemet में सन्निहित राशि मो० 16,72,50,777 (सोलह करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार सात सौ सतहत्तर) रूपये गैर योजना अन्तर्गत ऋण एवं अग्रिम मद में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त करते हुए व्यय की स्वीकृति। — 4. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

5. बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली–2003 की कंडिका 4.9.6 के अंतर्गत गठित कोशी उच्चस्तरीय समिति को आंशिक रूप से संशोधन एवं इस समिति के कार्य कलाप से संबंधित एक अतिरिक्त कंडिका 4.9.6 (क) का अंतःस्थापन। — 5. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

6. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में प्राचार्य के रिक्त पद पर बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थी डा० गणेश प्रसाद, खनन अयियंत्रण द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर बाह्य विषय–विशेषज्ञों से प्राप्त परामर्श–प्रतिवेदन के आलोक में औपबंधित नियुक्ति करने की स्वीकृति के संबंध में।

6. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

7. राज्य के अन्दर खरीद–बिक्री करने वाले व्यवसाईयों के लिए वैट अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन हेतु निर्धारित कराधेय मात्रा रू० 5 लाख को बढ़ाकर रू० 10 लाख करने हेतु बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 में संशोधन करने के संबंध में।

7. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

8. वाणिज्य–कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 1979–80 एवं 81 में प्रमंडलीय वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्तों द्वारा वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पद पर अनियमित रूप से नियुक्त किये गये 351 कर्मियों में से 77 कर्मियों की सेवा को नियमित करने का प्रस्ताव।

8. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 2045.545 लाख (₹ बीस करोड़ पैतालिस लाख चौवन हजार पाँच सौ) मात्र की लागत पर राज्य योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना के तहत अनुदानित दर पर मत्स्य बीज हैचरी, नया तालाब का निर्माण, ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन, आर्द्र जलभूमि का विकास तथा सरकारी तालाब के पट्टेदार को नाव एवं जाल के वितरण की योजनाओं की स्वीकृति।

9. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 2125.53 लाख (₹ इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख तिरपन हजार) मात्र की लागत पर अनुसूचित जाति/जनजातियों के मत्स्यपालकों को मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष घटक योजनान्तर्गत नर्सरी तालाब निर्माण तथा ट्यूबवेल एवं पम्प सेट अधिष्ठापन की योजना के स्वीकृति।

10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. "बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2015" (अनुलग्नक –'क') एवं "बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2015"

11. स्वीकृत।

	गृह विभाग	
12.	राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों के डायट चार्ट एवं डायट स्केल में संशोधन किये जाने के संबंध में।	**12. स्वीकृत।**
	कृषि विभाग	
13.	बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के आधारभूत संरचना के विकास हेतु 2058.00 लाख रूपये (बीस करोड़ अंठावन लाख रूपये) की लागत पर परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति।	**13. स्वीकृत।**
	कृषि विभाग	
14.	केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) का बिहार राज्य में 2015–16 में केन्द्रांश 1169.00 लाख रूपये एवं राज्यांश 1169.00 लाख रूपये कुल 2338.00 लाख रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।	**14. स्वीकृत।**
	ग्रामीण कार्य विभाग	
15.	पश्चिम चम्पारण जिला के गौनाहा प्रखंड अन्तर्गत पचरूखिया मोड़ से कोहरा–लछनौता जाने वाली सड़क में महुआभुषा एवं लछनौता के बीच हरबोड़ा नदी पर निर्मित उच्च स्तरीय पुल का नाम "शम्भू सेतु" करने के संबंध में।	**15. स्वीकृत। सेतु का नाम शम्भू गुप्ता सेतु होगा।**
	भवन निर्माण विभाग	
16.	भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में गैर योजना मद में ₹33909600/– (तीन करोड़ उनचालीस लाख नौ हजार छः सौ रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अभियंत्रण संवर्ग सहित विभिन्न श्रेणी के कुल 77 पदों का सृजन।	**16. स्वीकृत।**
	स्वास्थ्य विभाग	
17.	स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग को मरणशील अर्थात् इसके रिक्त पदों पर कोई नयी नियुक्ति नहीं करने, इसके सृजित पदों के विरूद्ध रिक्त पदों को उत्क्रमित करते हुए 20 पदों को प्रोन्नति हेतु कर्णांकित करने की स्वीकृति के संबंध में।	**17. स्वीकृत।**
	समाज कल्याण विभाग	
18.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण हेतु कुल रूपये 1,20,00,000/–(एक करोड़ बीस लाख) मात्र के	**18. स्वीकृत।**

विधि विभाग

19. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में विभिन्न राजपत्रित एवं अराजपत्रित कुल 151 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

विधि विभाग

20. बिहार मंदिर चाहरदिवारी निर्माण निधि योजना, 2015 की स्वीकृति के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

21. विभागान्तर्गत नवस्थापित अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर (पटना) के लिए 64 (चौंसठ) शैक्षणिक तथा 56 (छप्पन) गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

22. अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक /राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के अनुदेशक एवं अन्य वरीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों के गठन हेतु अभियंत्रण/ पोलिटेकनिक कर्मशाला संवर्ग नियमावली–2015 (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) की स्वीकृति के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

23. पटना जिलान्तर्गत बाढ़ में नया पोलिटेकनिक संस्थान स्थापित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **23. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

24. अति पिछड़ा समाज के प्रमुख घटक जाति मल्लाह निषाद, (सभी उप समूहों के साथ एवं नोनिया को (आदिवासी)/अनुसूचित जनजाति में घोषित करने हेतु। — **24. स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

25. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के आलोक में अधिमानता को मात्र कलेन्डर वर्ष 2014 में प्रेषित अधियाचनाओं के प्रसंग में बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में समाहित करने के संबंध में। — **25. स्वीकृत।**

ह०/–
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार
क०प०उ०